प्रशासन - III अनुभाग के कार्य

1. आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के कामकाज के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में प्रशासनिक सेवा प्रदान करना अर्थात्
    - समूह 'क' रैंक के अधिकारियों के स्थापना मामले, सदस्यों (लेखाकार/न्यायिक), अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति;
    - आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के सदस्यों के चरित्र और पूर्ववृत्त की पुष्टि/विस्तार/सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा, पोस्टिंग व स्थानांतरण
    - आईटीए के सदस्यों का संवर्ग प्रबंधन
    - आईटीएटी के सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के मामले में आचरण नियमों के अनुसार संपत्ति लेनदेन से संबंधित प्रस्तावों का प्रसंस्करण।

2. भारत के विधि आयोग का गठन और प्रशासनिक मंत्रालय होने के नाते इसके कामकाज के लिए सभी प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करना।

3. भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष, पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति।

4. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का प्रशासन; वाणिज्यिक न्यायालयों से संबंधित आंकड़ों का संकलन।

5. विधि कार्य विभाग के अधिकारियों, भारत के प्रबुद्ध महान्यायवादी, भारत के सॉलिसिटर जनरल, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री और माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री के विदेश दौरों से संबंधित मामले।

6. विधि कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन अनुदानग्राही निकाय अर्थात् भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) को सहायता अनुदान जारी करने से संबंधित सभी मामले।

7. अनुदानग्राही निकाय अर्थात् भारतीय विधि संस्थान के लेखाओं का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित विवरण संसद में प्रस्तुत करना।

8. भारतीय विधि संस्थान के लेखा-शीर्ष-सहायता-अनुदान के विरूद्ध वेतन और बजटीय आवंटन का प्रावधान।

9. अनुभाग द्वारा निपटाए जा रहे विषयों से संबंधित संसदीय प्रश्न।

10. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के न्याय मंत्रियों की बैठक से संबंधित मामले।

11. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के प्रोसिक्यूटर जनरल की बैठकों से संबंधित मामले।

12. भारत-यूके संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक से संबंधित मामले।

13. राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों की बैठक से संबंधित मामले।

14. विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों के पासपोर्ट (राजनयिक, आधिकारिक और कार्मिक) के लिए सुरक्षित अभिरक्षा प्रमाणपत्र जारी/ निर्गत करना।

15. अनुभाग द्वारा निपटाए गए विषयों से संबंधित बैठकों/ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र/ लोगो सहायता प्रदान करना।

16. अनुभाग द्वारा निपटाए गए विषयों से संबंधित न्यायालय मामले।

17. आरटीआई/ लेखापरीक्षा/ वार्षिक रिपोर्ट सहित अनुभाग द्वारा निपटाए जा रहे विषयों से संबंधित रिपोर्ट/ रिटर्न सहित अन्य सभी मामले।

****